

103
7-2-18
चन्द्र प्रकाश

आईपीओएसओ

एडीजी परिपत्र संख्या: 01/2018
अपर पुलिस महानिदेशक, अपराध
उत्तर प्रदेश

1-तिलकमार्ग, लखनऊ-226001

दिनांक: फरवरी, 2018



प्रिय महोदय,

मोटर वाहन अधिनियम, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, फैक्ट्री अधिनियम, पुलिस अधिनियम, सार्वजनिक जुआ अधिनियम, उ०प्र० नगर पालिका अधिनियम एवं उ०प्र० दुकान एवं बनिया अधिष्ठान अधिनियम के अपराधों के शमन सम्बन्धी संगत प्राविधानों में संशोधन करते हुए उ०प्र० दण्डविधि (अपराधों का शमन एवं विचारणों का उपशमन) (संशोधन) अधिनियम 1979 अधिनिमित्त किया गया है, जिसमें उपर्युक्त के अतिरिक्त धारा 160 भा०द०वि० के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध एवं केवल जुर्माने से दण्डनीय अपराधों को सम्मिलित किया गया है। साथ ही द०प्र०सं० की धारा 107 या 109 के अन्तर्गत ऐसे मामलों जो 01 जनवरी 1977 को विचाराधीन थे, को उपशमित करने का प्राविधान किया गया है।

2. उ०प्र० दण्डविधि (अपराधों का शमन एवं विचारणों का उपशमन) (संशोधन) अधिनियम 2016 द्वारा उक्त अधिनियम की धारा-9 की उपधारा(2) में 01 जनवरी 1977 के स्थान पर 01 जनवरी 2013 तक के अपराध उपशमनित किये जाने का प्राविधान किया गया था। उक्त के क्रम में विधायी अनुभाग उ०प्र० शासन की अधिसूचना सं०-2729/79/वि-1-17-1(क)31-17 दिनांकित 06.01.2018 द्वारा उ०प्र० दण्डविधि (अपराधों का शमन एवं विचारणों का उपशमन) (संशोधन) अधिनियम 2017 प्राख्यापित किया गया है, जिसमें 01 जनवरी 2013 के स्थान पर 31 दिसम्बर 2015 रखे जाने का प्राविधान किया गया है।

3. उपर्युक्त अधिनियम के प्राख्यापित होने के दृष्टिगत उपरोक्त वर्णित अपराधों का शमन एवं विचारणों का उपशमन दिनांक 31.12.2015 के पूर्व के विचाराधीन मामलों में किया जा सकेगा।

4. संदर्भित अधिसूचना दिनांकित 06.01.2018 की प्रतिलिपि आप सभी को इस आशय से प्रेषित है कि अपने अधिनस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों को तदनुसार कार्यवाही करने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।

संलग्नक:- यथोपरि।

HCS

सक्षम अक्ष,

le

SP-PS
7/2

अधीक्षक
संज्ञक
21/1/18
news

निवदीय
21/1/18
(चन्द्र प्रकाश)

संमस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, प्रभारो
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

- 1- समस्त ^{पुलिस} महानिदेशक, उ०प्र०।
- 2- समस्त अपर पुलिस महानिदेशक/समस्त पुलिस महानिरीक्षक उ०प्र०।
- 3- समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस उपमहानिरीक्षक, उ०प्र०।



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, सोमवार, 19 सितम्बर, 2016

भाद्रपद 28, 1938 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

विधायी अनुभाग-1

संख्या 1336/79-वि-1-16-1(क)17-2016

लखनऊ, 19 सितम्बर, 2016

अधिसूचना

विविध

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश दण्ड विधि (अपराधों का शमन और विचारणों का उपशमन) (संशोधन) विधेयक, 2016 पर दिनांक 16 सितम्बर, 2016 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 29 सन् 2016 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश दण्ड विधि (अपराधों का शमन और विचारणों का उपशमन)

(संशोधन) अधिनियम, 2016

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 29 सन् 2016)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

उत्तर प्रदेश दण्ड विधि (अपराधों का शमन और विचारणों का उपशमन) (संशोधन) अधिनियम, 1979 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के सड़सठवे वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

1-(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश दण्ड विधि (अपराधों का शमन और विचारणों का उपशमन) (संशोधन) अधिनियम, 2016 कहा जायेगा।

सक्षिप्त नाम और विस्तार

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा।

उत्तर प्रदेश
अधिनियम
संख्या 35
सन् 1979 की
धारा 9 का संशोधन

2-उत्तर प्रदेश दण्ड विधि (अपराधों का शमन और विचारणों का उपशमन) (संशोधन) अधिनियम, 1979 की धारा 9 में,-

(क) उपधारा (1) में, खण्ड (क) में, उपखण्ड (एक) के स्थान पर निम्नलिखित उपखण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात्:-

“(एक) मोटरयान अधिनियम, 1988; या”;

(ख) उपधारा (2) में, शब्द और अंक “1 जनवरी, 1977” के स्थान पर शब्द और अंक “1 जनवरी, 2013” रख दिये जायेंगे।

उद्देश्य और कारण

उत्तर प्रदेश दण्ड विधि (अपराधों का शमन और विचारणों का उपशमन) (संशोधन) अधिनियम, 1979 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 35, सन् 1979) को, कतिपय अपराधों के शमन और कतिपय दण्ड विचारणों के उपशमन की व्यवस्था करने के लिये कतिपय केन्द्रीय अधिनियमितियों में संशोधन करने हेतु अधिनियमित किया गया है। उच्च न्यायालय, इलाहाबाद की संस्तुति पर यह विनिश्चय किया गया है कि दिनांक 1 जनवरी, 1977 से दिनांक 1 जनवरी, 2013 तक किसी मजिस्ट्रेट के समक्ष लभित कतिपय कार्यवाहियों के उपशमन की अवधि को बढ़ाने के लिये उक्त अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (2) में संशोधन किया जाय।

तदनुसार उत्तर प्रदेश दण्ड विधि (अपराधों का शमन और विचारणों का उपशमन) (संशोधन) विधेयक, 2016 पुरःस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,
रंगनाथ पाण्डेय,
प्रमुख सचिव।

No. 1336(2)/LXXIX-V-1-16-1(ka)17-2016

Dated Lucknow, September 19, 2016

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Dand Vidhi (Aparadhon Ka Shaman Aur Vicharanon ka Upshaman) (Sanshodhan) Adhiniyam, 2016 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 29 of 2016) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on September 16, 2016.

THE UTTAR PRADESH CRIMINAL LAW (COMPOSITION OF OFFENCES AND ABATEMENT OF TRIALS) (AMENDMENT) ACT, 2016

(U.P. Act no. 29 of 2016)

[As passed by the Uttar Pradesh Legislature]

AN

ACT

to amend the Uttar Pradesh criminal law (Composition of offences and Abatement of Trials) (Amendment) Act, 1979.

IT IS HEREBY enacted in the Sixty-seventh year of the Republic of India as follows:-

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Criminal law (Composition of Offences and Abatement of Trials) (Amendment) Act, 2016. Short title and extent

(2) It shall extend to the whole of Uttar Pradesh.

2. In section 9 of the Uttar Pradesh Criminal Law (Composition of Offences and Abatement of Trials) (Amendment) Act, 1979,-

Amendment of
section 9 of U.P.
Act no. 35 of
1979

(a) in sub-section (1), in clause (a) for sub-clause (i) the following sub-clause shall be *substituted*, namely :-

“(i) the Motor Vehicles Act, 1988; or”;

(b) in sub-section (2), for the word and figures “January 1, 1977” the word and figures “January 1, 2013” shall be *substituted*.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Uttar Pradesh Criminal Law (Composition of Offences and Abatement of Trials) (Amendment) Act, 1979 (U.P. Act no. 35 of 1979) has been enacted to amend certain Central enactments to provide for the composition of certain offences and for abatement of certain criminal trials. On the recommendation of the High Court of Judicature at Allahabad it has been decided to amend sub-section (2) of section 9 of the said Act to extend the period for abatement of certain Proceedings pending before a Magistrate from January 1, 1977 to January 1, 2013.

The Uttar Pradesh Criminal Law (Composition of Offences and Abatement of Trials) (Amendment) Bill, 2016 is introduced accordingly.

By order,
RANG NATH PANDEY,
Pramukh Sachiv.